

कहाँ है मदन पालीवाल? हाँगकाँग, सिंगापुर या हिंदुस्तान??

पर्यटन या फिर
गिरफ्तारी का डर??



मदन पालीवाल और प्रकाश पुरोहित की गिरफ्तारी के मामले में
डीजीजीआई के आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी!!!

डीजीजीआई द्वारा अक्टूबर माह में की गयी कार्यवाही
के बाद नवंबर से नहीं दिखे मदन पालीवाल!!

आखिरी बार नवंबर माह में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे!!!

हाँगकाँग, सिंगापुर जाने की खबर!!!!

विशेष रिपोर्ट-4

क्या अभी भी हाँगकाँग है या फिर और कहीं और?

क्या प्रकाश पुरोहित भी इनके साथ या वह कहीं और?

डीजीजीआई के आला अधिकारी ना मिल रहे और नहीं दे रहे
किसी प्रकार की सूचना!!!

दोनों की गिरफ्तारी के मामले में साधी चुप्पी!!!

अब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को की जाएगी
सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, डीजीजीआई की संयुक्त जांच कमिटी बनाकर
पूरे मामले में कार्यवाही करने की गुहार!!!

मदन पालीवाल और प्रकाश चंद पुरोहित के देश से बाहर होने की खबर।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कंपनी के फाउंडर मदन पालीवाल को पिछले अक्टूबर माह में डीजीजीआई के छापो की कार्यवाही के बाद पिछले नवंबर माह में मुंबई हवाई अड्डे पर आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद उनके सिंगापुर या हाँगकाँग जाने की पुख्ता खबर सामने आयी है। जानकारों के अनुसार या तो मदन पालीवाल सिंगापुर या हाँगकाँग है या फिर वहाँ से कहीं और चले गए हैं। वैसे उनके USA जाने की भी खबर आ रही है। इस बात की खबर सामने नहीं आ रही है कि प्रकाश पुरोहित उनके साथ है या फिर वह कहीं और मौजूद है? वैसे तो नवंबर के बाद उनको भी सार्वजनिक रूप से कहीं देखा नहीं गया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह भी दूसरे किसी हवाई रूट से पहुँचकर मदन पालीवाल के साथ ही मौजूद है।

अब ऐसा तो संभव नहीं है कि विभाग कंपनी के विरुद्ध 1032 करोड़ का डिमांड नोटिस निकाल कर बैठा हो और कंपनी के कर्ता-धर्ता देश से बाहर पर्यटन कर रहे हों। ऐसे में यह बात सामने आ रही है कि डीजीजीआई द्वारा गिरफ्तारी के डर से यह दोनों देश नहीं आ रहे हैं और मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं।

जानकारों के अनुसार इन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि यदि 869 करोड़ की चोरी के मामले में डीजीजीआई की गिरफ्त में आए विनयकान्त आमेटा और धन्जय सिंह को जमानत मिल जाती तो इन दोनों की गिरफ्तारी भी टल सकती थी। लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक अपराधियों को देश की अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर खतरा मानते हुए, इन दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर देने से इन दोनों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। और इन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

जानकारों के अनुसार मदन पालीवाल का एक पैर सिंगापुर, हाँगकाँग में ही रहता है। अक्सर उन्हें वहाँ पर देखा जा सकता है।



ऑपरेशन कर्क: गुटखा कारोबारियों पर कार्रवाई के बाद खुलासा 400 करोड़ की कर चोरी, मास्टरमाइंड ने प्रॉपर्टी और मीडिया में खपाया काला धन

■ तीन आरोपी गिरफ्तार, 25 करोड़ की सामग्री और मशीनरी जब्त

■ लॉकडाउन में प्रेस लिखे वाहन से हो रही थी गुटखा की तस्करी

■ महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खपाया ज्यादातर माल

एमपी, यूपी में जीएसटी चोरी के मामले में असली कर्ता धर्ता कानून की गिरफ्त में लेकिन

राजस्थान में 1032 करोड़ की

जीएसटी चोरी के मामले में मिराज समूह के

कर्ता-धर्ता श्री मदन पालीवाल और प्रकाश

पुरोहित कानून की पकड़ से बहुत दूर।

जैसा कि पिछले सालों में देश के विभिन्न राज्यों एमपी, यूपी में गुटखे की जीएसटी चोरी के मामले में जीएसटी की स्थानीय विंग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए जीएसटी चोरी करने वाले असली कर्ताधर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर, ना केवल चोरी की गयी रकम भरवाई गयी है बल्कि असली रसुखदारों को

गिरफ्तार कर यह कड़ा संदेश भी दिया है कि जनता का पैसा चोरी करने वालों को कतई बक्शा नहीं जाएगा।

लेकिन राजस्थान में ऐसे मामले में बात ही दूसरी सामने आ रही है। जैसा कि इस प्रकरण में प्रस्तुत पूर्व के अंको में खुलासा किया गया था कि किस प्रकार जीएसटी चोरी के दो समान मामले में कुल 1032 करोड़ की चोरी के पुख्ता सबूत डीजीजीआई की राजस्थान इकाई के हाथ लगने के बावजूद, महज डमी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर, डिपार्टमेंट अपने गाल बजा रहा है। जबकि अपनी जमानत अर्जी में गिरफ्तार विनयकान्त आमेटा द्वारा यही बात दोहराई जा रही है कि वह मात्र कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी है और कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए उसे जमानत दी जाए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका के कथन से सिद्ध होता है कि करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी के लाभार्थी कोई और है।

लेकिन इसके बावजूद डीजीजीआई द्वारा नवीनतम 869 करोड़ की चोरी पकड़े जाने की कार्यवाही को किए डेढ़ महिना बीत जाने के बावजूद इस चोरी के मुख्य किरदार कंपनी के फाउंडर श्री मदन पालीवाल और ग्रुप के सीएमडी श्री प्रकाश चंद पुरोहित विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं। जबकि डीजीजीआई केवल सम्मन-सम्मन जारी करने का खेल खेल रहा है।

मर्द छाप तंबाकू का मालिक टैक्स चोरी में गिरफ्तार: कानपुर में GST की खुफिया विंग ने घर पर मारा छापा, 1.29 करोड़ रुपए बरामद; 18 करोड़ की चोरी पकड़ी



127 करोड़ की कर चोरी में वाणिज्यकर के 4 अफसर निलंबित

नई दिल्ली। नोएडा की एक फर्म के साथ मिलीभगत कर 127 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए वाणिज्य कर विभाग के चार अफसरों को निलंबित कर दिया है। ये चारों अधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी), नोएडा में तैनात थे। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 धर्मेन्द्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश दुबे, डिप्टी



कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया श्रीवास्तव शामिल हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने निलंबन की पुष्टि की है। मामला जनवरी 2020 का है। शासन को यह शिकायत मिली थी कि नोएडा स्थित तंबाकू की एक कंपनी ने बड़े पैमाने पर कर चोरी की है। इस आधार पर शासन ने मामले की प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। नोएडा के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सीबी सिंह ने जांच कर अपनी

प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इसमें फर्म द्वारा की गई कर चोरी के मामले में एसआईबी में तैनात इन सभी अधिकारियों की लिप्तता पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने बृहस्पतिवार को सभी चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें से तीन अधिकारी तो अभी भी नोएडा में ही तैनात हैं। वहीं, डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा का सहारनपुर तबादला हो चुका है।

डीजीजीआई के राजस्थान मुख्यालय के आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी।

इस पूरे मामले में डीजीजीआई के राजस्थान मुख्यालय स्थित एक आला अधिकारी ने तो मानो होंटो पर ताला ही लगा लिया है। हमारे द्वारा इस गंभीर मामले में जब उनसे मिलने की कोशिश की गयी तो उनके द्वारा अपने पीए से कहकर मिलने से ही इंकार करवा दिया गया। इतना ही नहीं विभाग के आला अधिकारी द्वारा तो हमारा प्रार्थना पत्र भी लेने मना करवा दिया गया। आला अधिकारी के पीए साहब ने यह नसीहत देते हुए हमारा प्रार्थना पत्र वापस कर दिया कि आप इसे डाक से भिजवाए तो ज्यादा ठीक होगा।


अब जिस विभाग का मुखिया ऐसे गंभीर मामले में जनता से मिलने से ही इंकार कर दे तो ऐसे में उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वह इस मामले में न्यायसंगत कार्य कर अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं। जबकि डीजीजीआई ऐसा संवेदनशील विभाग है जहां पर बाहरी खबरों/मुखबिरो की सूचना के आधार पर ही बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया जाता है।

क्या मदन पालीवाल का देश छोड़कर विदेश चले जाना डीजीजीआई के अधिकारियों की नाकामी नहीं है?

मदन पालीवाल, प्रकाश पुरोहित के देश छोड़कर जाने की खबर और डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा हमसे कन्नौ काटने की घटना से साफ तौर पर जाहिर होता है कि विभाग को इस बात की खबर लग चुकी है कि यह दोनों अब देश छोड़कर जा चुके हैं, हमारे द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए डाले जा रहे दबाव के चलते ही विभाग के आला अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ना तो हमसे मिल रहे हैं और ना ही कोई जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। यदि मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता तो कंपनी के अधिकारी और विभाग के आला अधिकारी आपसी साँठ गाँठ कर कबका इस मामले को फ़ाईलों में दफन कर चुके होते।



क्या केंद्र सरकार जारी करेगा इन दोनों के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस?



जानकारो के अनुसार डीजीजीआई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिलते ही कि कंपनी के दोनों कर्ता-धर्ता अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, कंपनी का मनेजमेंट देख रहे अन्य लोगो पर उनको पेश करने का दबाव बना रहे है।क्यूंकी यदि इस बात का खुलासा दिल्ली में बैठे विभाग के अधिकारियों को हो गया तो जयपुर में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।यदि ऐसा हुआ तो

इन दोनों के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया जा सकता है।जानकारो के अनुसार कर चोरी के इस बड़े मामले में विभाग के दिल्ली में बैठे अधिकारी इस बात का जोखिम कतई नहीं लेना चाहेंगे क्यूंकि नीरव मोदी, मेहुल चोकसे और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों के विदेश भाग जाने से पहले ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है।

जबकि इस मामले में तो भाजपा शासित केंद्र सरकार मिराज ग्रुप के कर्ता-धर्ताओं को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी क्यूंकी मिराज ग्रुप का काँग्रेस से जुड़ाव जगजाहिर है।

किसी समय मदन पालीवाल से निकटता जाहिर करने वाले अब काट रहे कच्ची।

सूत्रों के अनुसार मदन पालीवाल के अच्छे समय में उनसे निकटता जाहिर करने वाले अब उनसे कच्ची काट रहे हैं ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है।उनकी और जयपुर के एक बड़े रियल स्टेट कारोबारी की निकटता भी जगजाहिर है और मदन पालीवाल द्वारा 2000 करोड़ के काले/सफ़ेद धन का निवेश राजस्थान, मुंबई और एनसीआर के रियल स्टेट प्रोजेक्टों में किया गया है जिसकी भी जांच होनी शेष है।चूंकि काले धन की जांच करना डीजीजीआई के कार्यकरण का हिस्सा नहीं होकर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकरण का हिस्सा है अतः इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय के संज्ञान में भी लाया जा चुका है।

जवाब मांगते सवाल?

1. इस बात में कितनी सच्चाई है कि मदन पालीवाल और प्रकाश पुरोहित देश में मौजूद नहीं हैं?
2. यदि इस बात में सच्चाई है तो क्या यह बात डीजीजीआई के आला अधिकारियों को मालूम है?
3. यदि डीजीजीआई के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है तो अब तक इस मामले में चुप्पी क्यूं साधे बैठे हैं?
4. मिराज समूह द्वारा की गयी 1032 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?
5. मिराज समूह के इन दोनों कर्ता-धर्ताओं को किसके रसूखातों के दम पर और क्यूं बचाया जा रहा है?क्या वाकई इस मामले में कोई डील चल रही है?